Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में पुलिस थाना बानसूर का हैड कानिस्टेबल 1 लाख 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *02 अगस्त, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज बानसूर में कार्यवाही करते हुये सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर को परिवादी से **1 लाख 40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध पुलिस थाना बानसूर में दर्ज प्रकरण में उसे गिरफ्तार नहीं करने एवं मामला रफा–दफा करने की एवज में सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर द्वारा थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया पुलिस निरीक्षक के लिये **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेश कुमार पुत्र श्री यादराम जाट निवासी मुण्डावर रोड़, हरसौली, पुलिस थाना खैरथल, जिला अलवर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर को परिवादी से **1 लाख 40 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया पुलिस निरीक्षक की प्रकरण में भूमिका की जांच की जा रही है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।